न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 26.07.2019

श्री लाभचंद पिता चांदमल राठौड, आयु वयस्क, दुकानदार उचित मूल्य की दुकान बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

.....विपक्षी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 28/2019 दिनांक 15.05.2019

उपस्थितिः- 1–श्री राकेश कुमार जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट
2–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 21.01.2020

अपीलार्थी द्वारा अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 31.01.2019 को उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताते हुए आदेश कमांक रसद/विधि/28/2019/45 दिनांक 04.02.2019 से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया। जबकि उक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 31.01.2019 की प्रतिलिपि अपीलार्थी को आज दिनांक तक नहीं दी गई। जिला रसद अधिकारी ने न तो अपीलार्थी को अनुज्ञापत्र निलम्बन आदेश की प्रतिलिपि दी और न ही कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया और दिनांक 15.05.2019 को बिना सुनवाई का अवसर दिए लाईसेंस निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो कि विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अनुज्ञापत्र निलम्बन से लेकर अनुज्ञापत्र निरस्ती आदेश तक सारी कार्यवाही एक पक्षीय की जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 15.05.2019 खारिज फरमावें तथा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 14/2019 (रसद)
श्री लाभचंद राठौड़ उ. मू. दुकानदार बोराव तहसील रावतभाटा बनाम राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली तलब की गई। जिला रसद अधिकारी की ओर से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी के उपस्थित होने एवं अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 31.01.2019 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि अपीलार्थी को आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी को अनुज्ञापत्र निलम्बन आदेश की ना तो प्रतिलिपि दी और ना ही कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अनुज्ञापत्र निलम्बन से लेकर निरस्तीकरण तक सारी कार्यवाही एक पक्षीय की जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। कथित निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार पोस मशीन कोड सं. 6507 में वक्त निरीक्षण निम्नानुसार नियंत्रित वस्तुएं बताई गई है:-

A- गेहूं की मात्रा 4990 हस्तान्तरित की गई मात्रा 4990
B- केरोसीन पोस मशीन में दर्ज Nil हस्तान्तरित की गई मात्रा Nil
C- चीनी पोस मशीन में दर्ज 17 कि.ग्रा. हस्तान्तरित की गई मात्रा 17 कि.ग्रा.

इस प्रकार हस्तान्तरित वस्तुओं के पर्चे से प्रकट है कि उचित मूल्य की वितरण हेतु प्राप्त सामग्री का न तो दुरूपयोग किया गया और ना ही गबन किया गया। अनुज्ञापत्र निरस्ती आदेश में एक आधार यह भी लिया गया है कि चार्ज फरिस्त अनुसार 31 क्विंटल गेहूं की मात्रा कम दी गई। यह आधार मिथ्या है क्योंकि चार्ज फहरिस्त में प्रारम्भिक गेहूं का स्टॉक सितम्बर, 2016 में 3093 कि. ग्रा. बताया जो दिसम्बर, 2016 तक बताया है जबकि अपीलार्थी को उचित मूल्य दुकान पर वितरण हेतु नवीन पोस मशीन दिनांक 19.12.2016 को दी गई और जनवरी, 2017 से प्रथम बार 6100 कि. ग्रा. गेहूं प्राप्त हुआ यह तथ्य जिला रसद अधिकारी से सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त लिखित जानकारी से प्रकट है इससे पहले का कोई स्टॉक अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। जनवरी, 2017 से पूर्व का कोई गेहूं स्टॉक में देने संबंधित कोई दस्तावेज या कागजात न तो विभाग में उपलब्ध है और न ही ऐसे कोई स्टॉक प्राप्ति पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर उपलब्ध है। कारण बताओ नोटिस में अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने एक मात्र आक्षेप यह बताया है कि उपभोक्ता पखवाडे में दुकान बन्द पाई गई। कथित निरीक्षण के दिन 31.01.2019 को अपीलार्थी के उचित मूल्य की दुकान इस कारण बन्द थी क्योंकि उसे उचित मूल्य की जो सामग्री वितरण के लिए प्राप्त हुई उन्हें उपभोक्ताओं को वितरण की जा चुकी थी। किसी भी उपभोक्ता को वितरण करना शेष नहीं था। इसलिए दुकान बन्द होने का जो आक्षेप लगाया है उसका उचित एवं वाजिब कारण अपीलार्थी ने प्रकट किया है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी यदि अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते तो अपीलार्थी उक्त सारे तथ्यों को प्रमाणिक स्तावेज के साथ उन्हें प्रस्तुत करता। अपीलार्थी को न तो कारण बताओ नोटिस

कार्यालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 14/2019 (रसद)
श्री लाभचंद राठौड़ उ. मू. दुकानदार बोराव तहसील रावतभाटा बनाम राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

दिया और न ही उसकी तामील कराई गई। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए एक तरफा निर्णय दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 15.05.2019 निरस्त फरमाकर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल फरमाया जावे।

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान बोराव का दिनांक 31.01.2019 को निरीक्षण किया गया तो वक्त निरीक्षण दुकान बंद पाई गई। पूर्व में दिनांक 18.01.2019 को भी निरीक्षण किया गया किन्तु उस दिन भी दुकान बंद पाई गई। उपभोक्ता पखवाडे में दुकान बन्द रखना जैसी अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन में आता है। अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण हेतु पारित आदेश दिनांक 15.05.2019 विधि-सम्मत् होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान बोराव का पूर्व मे दिनांक 18.01.2019 को भी निरीक्षण करना तथा वक्त निरीक्षण उस समय भी दुकान बन्द होना बताया है किन्तु दिनांक 18.01.2019 को किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट अथवा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे दिनांक 18.01.2019 को निरीक्षण किए जाने की पुष्टि नहीं होती है।

अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 04.02.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है किन्तु उस कारण बताओ नोटिस पर पत्र प्रेषण क्रमांक का अंकन नहीं है तथा उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को तामील होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को तामील होने संबंधी पुष्टि नहीं हो रही है।

राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा 8 (2) में अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र धारी को उसका अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्राधिकार पत्र धारी/अपीलार्थी को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है। दिनांक 31.01.2019 के निरीक्षण रिपोर्ट में दुकान बंद पाये जाने का अंकन किया है जबकि अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र निलम्बन आदेश क्रमांक 45 दिनांक 04.02.2019 में निरीक्षण के वक्त नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में अनियमितता करने का अंकन किया है जो दोनो कथन विरोधाभासी है।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 14/2019 (रसद)
श्री लाभचंद राठैड़ उ. मू. दुकानदार बोराव तहसील रावतभाटा बनाम राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पत्रावली पर उपलब्ध कारण बताओ नोटिस में कार्यवाही प्रारम्भ करने के आधार मात्र दुकान बंद होना अंकित है जबकि निरस्ती आदेश में कई कारणों का अंकन है। उक्त विभिन्न कारण किस आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्ती आदेश में अंकित किए गए इसका आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 15.05.2019 से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है निष्कर्षतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 15.05.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलान्ट/अनुज्ञाधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समुचित जांच के पश्चात् विधि-सम्मत् आदेश पारित करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:26:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: